

INTEGRATED CAPITAL SERVICES LIMITED
CIN: L74899DL1993PLC051981

Regd. Office: 606, New Delhi House, Barakhamba Road, New Delhi 110 001
T/F + 91 11 4354 2784, Email contact@raas.co.in, Website www.raas.co.in

FORM NO. CAA. 2

(Pursuant to Section 230 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 6 and 7 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016

Company Petition No. CA (CAA)-138 (ND)/2017

In the matter of Scheme of Arrangement

of
Deora Associates Private Limited (Transferor Company)

And

Integrated Capital Services Limited (Transferee Company)

And

Their Respective Shareholders and Creditors

NOTICE OF THE MEETING OF UNSECURED CREDITORS AND EQUITY SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that by an Order dated December 21, 2017, the New Delhi Bench of the National Company Law Tribunal (Tribunal) at New Delhi has directed a meeting to be held of Unsecured Creditors and Equity Shareholders of the Integrated Capital Services Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Arrangement proposed between the Transferor Company and Transferee Company and their respective shareholders and creditors.

In pursuance of the said Order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of Unsecured Creditors of the Transferee Company will be held on Tuesday the 06th day of February of 2018 at 11:30 a.m. at Check In by ORAN, 104 Babar Road, Opp, World Trade Center, Connaught Place, New Delhi - 110001 and the meeting of Equity Shareholders of the Transferee Company will be held on Tuesday the 06th day of February of 2018 at 12:30 p.m. at Check In by ORAN, 104 Babar Road, Opp, World Trade Center, Connaught Place, New Delhi - 110001.

Copies of the Scheme of Arrangement and statement under Section 230 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge at the registered office of the Transferee Company. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferee Company not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had from the registered of the Transferee Company.

The Tribunal has appointed Shri Jayant Mehta, Advocate and failing him, Shri Milan Singh Negi, Advocate as Chairperson of the said meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, if approved at the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.

Sd/-

Place: New Delhi
Date: January 06, 2018

Jayant Mehta
(Chairperson appointed for the meeting)

Size : 8cm X 10cm

इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1993PLC051981

पंजी. कार्यालय: 606, नई दिल्ली हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001
T/F +91 11 4354 2784, ईमेल : contact@raas.co.in, वेबसाइट : www.raas.co.in

फॉर्म नं. सीएफ. 2

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 230 (3) के अनुसार और के नियम 6 और 7 कंपनियों
(समझौता, व्यवस्था और समालयन) नियम, 2016

कंपनी याचिका संख्या सीए (सीएए) -138 (एन डी)/2017
प्रबन्ध की योजना के मामले

में
देवरा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी)
और

इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (ट्रांसफर कंपनी)
और

शेयरधारकों संबंधित और लेनदारों

लेनदारों और इक्विटी शेयरधारकों की बैठक का नोटिस

सूचना के अनुसार, 21 दिसंबर, 2017 के एक आदेशानुसार, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (ट्रिब्यूनल) की नई दिल्ली के बेंच ने डेरा एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। जिसमें कि विचार करना, और अगर सोचा कि, संशोधन के साथ या इसके बिना अनुमोदन, हस्तांतरणकर्ता कंपनी और ट्रांसफर कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच प्रस्तावित व्यवस्था की योजना। उस आदेश के अनुपालन में और उसके अनुसार निर्देशित किया गया है कि ट्रांसफर कंपनी के लेनदारों की बैठक मंगलवार को 06 फरवरी, 2018 में सुबह 11.30 बजे, Check In by ORAN में, 104 बाबर रोड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, के सामने कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, पर आयोजित की जाएगी और इक्विटी शेयरधारकों की बैठक मंगलवार को 06 फरवरी, 2018, 12.30 बजे आयोजित किया जाएगा। Check In by ORAN 104 बाबर रोड, ओप, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 पर पर आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत व्यवस्था की योजना और ट्रांसफर कंपनी के पंजी. कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। बैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार व्यक्ति में या प्रॉक्सी द्वारा वोट दे सकते हैं, बशर्ते कि निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी को सम्मेलन से 48 घंटों से पहले ट्रांसफर कंपनी के पंजी. कार्यालय में जमा किया गया हो।

ट्रांसफर कंपनी के पंजी. कार्यालय से प्रॉक्सी के फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।

इस ट्रिब्यूनल ने श्री जयंत मेहता को अधिवक्त नियुक्त किया गया है और उनके अनुपस्थिती पर, श्री मिलन सिंह नेगी, वकील, अध्यक्षता करेंगे। यदि बैठक में अनुमोदित किया गया है तो उपर्युक्त योजना की व्यवस्था, माननीय न्यायाधिकरण की अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक 06.01.2018
स्थान नई दिल्ली

जयंत मेहता
(बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष)